



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 5, 2018/माघ 16, 1939

No. 455]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 5, 2018/MAGHA 16, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2018

का.आ. 528(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल, उड़ीसा और गुवाहाटी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति से उक्त उपधारा के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के मामलों के शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात्-

सारणी

क्र.सं. (1)	न्यायालय (2)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (3)
1.	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय-VII एर्नाकुलम	केरल राज्य
2.	जिला एवं सेशन न्यायालय, क्वारती	लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
3.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कटक	ओडिशा राज्य
4.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1, कामरुप (एम), गुवाहाटी	असम राज्य

[फा.सं.01/12/2009-सीएल-1(भाग-IV)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**New Delhi, the 5th February, 2018

S.O. 528(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justices of the High Courts of Kerala, Orissa and Gauhati, hereby designates the following Courts mentioned in column (2) of the Table below as Special Courts for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said sub-section, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Courts (2)	Jurisdiction as Special Courts (3)
1.	Additional District and Sessions Court-VII, Ernakulam	State of Kerala
2.	District and Sessions Court, Kavaratti	Union territory of Lakshadweep
3.	District and Sessions Judge, Cuttack	State of Odisha
4.	Additional District and Sessions Judge, No.1, Kamrup (M), Guwahati	State of Assam

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

K.V. R. MURTY, Jt. Secy.

RAKESH
SUKULDigitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.02.05
20:00:42 +05'30'